

न्यायालय सभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 375/17 (RCMS No. 2017/00397) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामदुलारी पुत्री कल्ला पत्नी दुर्ग सिंह जाति गडरिया निवासी ढोड का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. मुननी पुत्र कल्ला पत्नी कप्तान जाति गडरिया निवासी ढोडका पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
3. सरोज पुत्री कल्ला पत्नी पूरन सिंह जाति गडरिया निवासी कोलुआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
4. श्रीराम पुत्र गुलुआ उर्फ गुलाब सिंह मॉ स्व० रमसो जाति गडरिया निवासी ढोड का पुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर
5. सीमा पुत्री गुलुआ उर्फ गुलाब सिंह पत्नी मवसिया मॉ स्व० रमसो जाति गडरिया निवासी हाजीपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
6. कमलेश पुत्री गुलुआ उर्फ गुलाब सिंह पत्नी रामबरन मॉ स्व० रमसो जाति गडरिया निवासी हाजीपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. कल्ला पुत्र बीधा जाति गडरिया निवासी सुलतानपुर मजरा नगला दूल्हे खॉ तहसील बाडी जिला धौलपुर
2. रामजी लाल पुत्र कल्ला जाति गडरिया निवासी सुलतानपुर मजरा नगला दूल्हे खॉ तहसील बाडी जिला धौलपुर
3. नायव तहसीलदार कंचनपुर तहसील कंचनपुर जिला धौलपुर

..... रैस्पो०

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपील विरुद्ध निर्णय जिला कलेक्टर धौलपुर के
निर्णय दिनांक 27.04.2015 एवं नामा० सं० 930
दिनांक 15.02.2014 वॉके ग्राम नगला दूल्हेखां
तह० बाडी

उपस्थिति:-

1. श्री दिनेश श्रीवास्तव वकील अपीलान्ट
2. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील रैस्पो०

नि र्ण य

दिनांक:-28.02.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 27.04.2015 एवं नायव तहसीलदार कंचनपुर द्वारा पारित आदेश नामा0 संख्या 930 दिनांक 15.02.2014 वॉके ग्राम नगला दूल्हेखां तहसील बाडी जिला धौलपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि कल्ला पुत्र बीघा ने रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 12.02.2014 को रामजीलाल को किया था। जिसके आधार पर नामा0 सं0 930 दिनांक 15.02.2014 वॉके ग्राम नगला दूल्हेखां तहसील बाडी नायव तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर धौलपुर के न्यायालय में इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी का रैसपो0 सं. 1 कल्ला खातेदार था। उक्त कल्ला अपीलान्ट का पिता व नाना है। उक्त आराजी कल्ला की पैतृक आराजी है जिसे उसने अपने पिता बीघा से विरासत में प्राप्त किया था। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पत्ती होने से अपीलान्ट का जन्म से अधिकार था। कल्ला ने अपने पिता बीघा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का खाता अकेले अपने नाम कायम करा लिया। अपीलान्ट सं0 1, 2 व 3 रैसपो0 कल्ला की पुत्रियां हैं तथा अपीलान्ट संख्या 4, 5, 6 कल्ला की मृत पुत्री रमसो के उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार कल्ला की चार पुत्रियां व एक पुत्र रैसपो0 सं0 2 रामजीलाल है। रामजीलाल ने कल्ला को बरगला कर व बहका कर विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया। अपीलान्ट को जानकारी होने पर एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए उपखण्ड अधिकारी बाडी के न्यायालय में पेश किया लेकिन स्थगन आदेश जारी नहीं हुए। इसी बीच रैसपो0 सं0 2 रामजीलाल ने दानपत्र दिनांक 12.02.2014 को पंजीकृत करा लिया तथा दिनांक 15.02.2014 को दानपत्र के आधार पर नामा0 तस्दीक करा लिया। जबकि दावा न्यायालय में विचाराधीन था। नामा0 गलत तस्दीक किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 930 निरस्त किया जावे। रैसपो0 ने जबाब पेश किया कि रैसपो0 कल्ला विवादित आराजी का खातेदार है उसे अपनी आराजी को बिक्रय करने, दानपत्र करने, वसीयत करने का अधिकार है। दान पत्र बिल्कुल सही है। अपीलान्ट का दावा विचाराधीन है। नामा0 रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर यह माना कि दानपत्र रजिस्टर्ड है जिसे गलत नहीं माना जा सकता है। अपीलान्ट ने पैतृक आराजी के संबंध में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। इस निर्णय के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि कथित दानपत्र दिनांक 12.02.14 को पंजीकृत हुआ था और दिनांक 15.02.14 को पटवारी हल्का ने नामा0 भर दिया गया तथा नायव तहसीलदार ने दिनांक 15.02.14 को तस्दीक कर दिया। इस प्रकार इस कार्यवाही की गति आलोच्य आदेश की वैधता पर सवाल खड़ा करती है। जिस दिन नामा0 तस्दीक हुआ है उस दिन दावा न्यायालय में विचाराधीन था। दावा के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही को रोका जाना चाहिये। उपखण्ड अधिकारी जनसुनवाई कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय में नहीं बैठे। इसलिये स्थगन प्राप्त नहीं हो सका। उनका तर्क है कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है, जिसमें अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अपीलान्ट विवादित आराजी में को-पार्सनर है। नामा0 दर्ज करते समय कोई जांच नहीं की गई है। दानकर्ता को समस्त आराजी दान करने का अधिकार नहीं

था। वह अपने हिस्से तक ही दान कर सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस पर गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो० का तर्क है कि विवादित आराजी का कल्ला खातेदार था। कल्ला ने अपने खातेदारी की आराजी को अपने पुत्र रामजीलाल को रजिस्टर्ड दानपत्र किया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। उनका तर्क है कि उत्तराधिकार मृत्यु के बाद ही लागू होता है। कल्ला ने अपने जीवन काल में अपनी आराजी का दानपत्र किया है। नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर भरा जाकर तस्दीक किया गया है। दानपत्र बजूद में है। जब तक दानपत्र निरस्त नहीं होता, तब तक उसका प्रभाव रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय में दावा जेरकार है। अपीलान्ट दावे में अपने हक हकूत तय करायें। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है। जिसमें अधिकार तय नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कल्ला पुत्र बीघा ने रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 12.02.2014 को रामजीलाल को किया था। जिसके आधार पर नामा० सं० 930 दिनांक 15.02.2014 वॉके ग्राम नगला दूल्हेखां तहसील बाडी नायव तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट ने जिला कलक्टर धौलपुर के न्यायालय में इस कथन के साथ अपील पेश की थी कि विवादित आराजी का रैस्पो० सं. 1 कल्ला खातेदार था। उक्त कल्ला अपीलान्ट का पिता व नाना है। उक्त आराजी कल्ला की पैतृक आराजी है जिसे उसने अपने पिता बीघा से विरासत में प्राप्त किया था। उक्त आराजी में अपीलान्ट का जन्म से अधिकार था। कल्ला ने अपने पिता बीघा की मृत्यु के बाद उक्त आराजी का खाता अकेले अपने नाम कायम करा लिया। अपीलान्ट सं० 1, 2 व 3 रैस्पो० कल्ला की पुत्रियां हैं तथा अपीलान्ट संख्या 4, 5, 6 कल्ला की मृत पुत्री रमसों के उत्तराधिकारी हैं। इस प्रकार कल्ला की चार पुत्रियां व एक पुत्र रैस्पो० सं० 2 रामजीलाल है। रामजीलाल ने कल्ला को बरगला कर व बहका कर विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया। अपीलान्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए उपखण्ड अधिकारी बाडी के न्यायालय में पेश कर दिया है। रैस्पो० सं० 2 रामजीलाल ने दिनांक 15.02.2014 को दानपत्र के आधार पर नामा० तस्दीक करा लिया। जबकि दावा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपील स्वीकार कर नामा० सं० 930 निरस्त किया जावे। रैस्पो० ने जबाब पेश किया कि रैस्पो० कल्ला विवादित आराजी का खातेदार है उसे अपनी आराजी को बिक्रय करने, दानपत्र करने, वसीयत करने का अधिकार है। दान पत्र बिल्कुल सही है। नामा० रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दर्ज किया गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दर्ज नामा० को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है। दावा के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही को रोका जाना चाहिये। अपीलान्ट विवादित आराजी पैत्रिक आराजी कहकर आये है। यदि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है तो निश्चित रूप से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते हैं। पक्षकारों के मध्य दावा विचाराधीन है। दावे में ही पक्षकारों के हित निहित होंगे। नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार व्यथित पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई के लिये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.04.2015 एवं नामा० सं० 930 दिनांक 15.02.2014 ग्राम नगला दूल्हे खॉ तहसील बाडी निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर विचाराधीन दावे के निर्णय की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official